

## प्रमाणन विनियमन

तीसरे देशों में जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए  
**रेगुलेशन (EU) 2018/848** और कमीशन इम्प्लीमेंटिंग और डेलीगेटेड रेगुलेशन के अनुसार, जैसा कि बदला गया है  
 और लागू है

### अनुच्छेद 1

दायरा

सर्टिफिकेशन रेगुलेशन का मतलब है वह कंट्रोल सिस्टम जिसे A CERT तीसरे देशों में लागू करता है। यह उन कंट्रोल उपायों के बारे में बताता है जिन्हें A CERT तीसरे देशों में मौजूद ऑपरेटरों पर A CERT ऑर्गेनिक इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन स्कीम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लेबलिंग ज़रूरतों के हिसाब से लागू करता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लेबलिंग पर रेगुलेशन (EU) 2018/848, रेगुलेशन (EU) 2017/625, रेगुलेशन (EU) 2021/1698 और कमीशन इम्प्लीमेंटिंग और डेलीगेटेड रेगुलेशन के अनुसार है, जैसा कि बदला गया है और लागू है।

मौजूदा रेगुलेशन का ज़रूरी हिस्सा ICS-BIO3CC\_D1.49 सर्टिफिकेशन रेगुलेशन का एनेक्स है।

### अनुच्छेद 2

इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन बॉडी A CERT यूरोपियन  
 ऑर्गनाइजेशन फॉर सर्टिफिकेशन SA

1. इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन बॉडी, जिसे A CERT यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर सर्टिफिकेशन SA (इसके बाद A CERT या कंट्रोल बॉडी कहा जाएगा) के नाम से 2005 में थेसालोनिकी में SA ऑपरेटर (Société Anonyme) के लीगल फॉर्म के तहत शुरू किया गया था। A CERT का मुख्य काम ऑडिट करना और प्रोडक्ट्स और मैनेजमेंट सिस्टम्स का सर्टिफिकेशन करना है।

2. CERT के उद्देश्य :

- सतत विकास और जैविक कृषि को बढ़ावा देना
- पर्यावरण सुरक्षा
- कंजूमर्स के लिए हाई लेवल कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन का भरोसा।
- गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता बनाए रखना

3. CERT के ऑपरेशनल सिद्धांत:

a. गोपनीयता-विश्वास

A CERT, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ऑपरेटरों से मिली सभी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल मानेगा। A CERT और थर्ड पार्टी के बीच जानकारी का लेन-देन ऑपरेटर की लिखित सहमति से ही होगा, जब तक कि संबंधित रेगुलेशनी फ्रेमवर्क, कानून और/या A CERT के कंट्रोल सिस्टम, जिसके तहत ऑपरेटर आता है, के लिए ज़रूरी न हो। अगर कंट्रोल और सुपरवाइज़री अथोरिटी मौजूदा कानून के बारे में कोई अपडेट देती है, तो A CERT ऑपरेटर को उसी हिसाब से बताएगा।

b. निष्पक्षता - वस्तुनिष्ठता

CERT सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की सलाई, डिजाइन और/या मार्केटिंग में शामिल नहीं है। इसके अलावा,

CERT कंसल्टिंग सर्विस देने में भी शामिल नहीं है। CERT के अंदरूनी और बाहरी लोगों पर किसी भी तरह का कमर्शियल, आर्थिक या किसी और तरह का दबाव नहीं होता है, जिससे उसके फैसले पर असर पड़ सकता है। CERT इच्छुक ऑपरेटरों को सर्टिफिकेशन प्रोसेस के मतलब के बारे में जानकारी देता है। CERT के सर्टिफिकेशन सिस्टम को कंट्रोल और सुपरवाइज़री अथोरिटीज़ मॉनिटर करती हैं। CERT का इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंस कंट्रोल कमेटी (ICC) करती है, जो एक कलेक्टिव बॉडी है जिसे CERT के मेंबर्स को इनविटेशन देने के बाद बनाया गया है। कमेटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो CERT का इंटरनल कंट्रोल करती है और इसके ऑपरेशन रेगुलेशन के अनुसार, साल में एक बार मीटिंग करती है। कमेटी इस तरह से बनाई गई है कि किसी एक का हित हावी न हो, जबकि सभी इच्छुक लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिले। अपने मॉनिटरिंग काम के अलावा, कमेटी सर्टिफिकेशन सिस्टम के बारे में पॉलिसी और सिद्धांत बनाने में भी मदद करती है।

c. पारदर्शिता

A CERT के प्रोसेस अलग-अलग तरह की जानकारी पब्लिश करके ट्रांसपरेंसी पक्का करते हैं, जिस तक सभी इंटरेस्टेड लोगों की फ्री एक्सेस होती है। इन पब्लिकेशन में, इंडिकेटिवली, न कि रिस्ट्रिक्शनली, मौजूदा सर्टिफिकेशन रेगुलेशन और सर्टिफाइड ऑपरेटर्स की रजिस्ट्रेशन लिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा, पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स और सभी ज़रूरी जानकारी कम्पेटिबल अथोरिटीज़ को सबमिट की जाती हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि A CERT मौजूदा कानून का कम्प्लायांस कर रहा है।

d. CERT के पास यह अधिकार है कि अगर सर्टिफिकेशन प्रोसेस आगे न बढ़े तो ऑडिट के दौरान CERT को पता चलता है कि प्रोडक्ट्स की सेफ्टी खतरे में है और फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के कानून का उल्लंघन हो रहा है।

e. कंट्रोल बॉडी की ज़रूरतें, इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन का फैसला सिफ़र उन मामलों तक सीमित है जो सर्टिफिकेशन के दायरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं।

### अनुच्छेद 3

परिभाषाएं

ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लेबलिंग पर रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 3 में दी गई परिभाषाएँ मौजूदा सर्टिफिकेशन रेगुलेशन और उसके एनेक्स के लिए लागू होंगी।

### अनुच्छेद 4

लेखा परीक्षा, प्रमाणन और निगरानी

A. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये शामिल हैं :

## 1. आवेदन :

सभी इंटरेस्टेड ऑपरेटरों को सर्टिफिकेशन के लिए अलाई करने का अधिकार है। इंटरेस्टेड ऑपरेटरों को सर्टिफिकेशन बॉडी से, या सर्टिफिकेशन बॉडी की वेबसाइट ([www.a-cert.org](http://www.a-cert.org)) के ज़रिए यह जानकारी मिलती है, जिसमें शामिल हैं:

- a) प्रमाणन विनियमन ;
- b) उपयुक्त उपभवन का प्रमाणन रेगुलेशन , मांगे गए सर्टिफिकेशन के प्रकार के अनुसार ;
- c) उपयुक्त प्राइस लिस्ट , के अनुसार अनुरोधित प्रमाणन प्रकार ;
- d) आवेदन पत्र;
- e) दस्तावेज़ घोषणा - ऑपरेटर के संबंध में विवरण अनुरोधित प्रमाणन प्रकार और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज़ ।

इसके अलावा , रेगुलेशन (EU) 2018/848 को इसमें शामिल किया गया है A CERT की वेबसाइट । सभी इच्छुक लोग A CERT के ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स ईमेल या पोस्ट से अपने खर्चे पर भी पा सकते हैं।

इच्छुक दल भरण में और भेजता है को एक प्रमाणपत्र दस्तावेज़ उल्लिखित में अंक डी और ई . यह प्रक्रिया यह तब भी लागू होता है जब सर्टिफिकेशन का दायरा बदला जाता है (बढ़ाया या घटाया जाता है)।

में मामला इच्छुक दल है पहले से प्रमाणित द्वारा एक और नियंत्रण बाड़ी , एक CERT रिक्स्ट करता है कॉफी का ऑपरेटर का फाइलें द्वारा पहले का नियंत्रण शरीर। इसके बाद, प्रमाणीकरण शुरुआती सर्टिफिकेशन मामलों में लागू प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक ऑपरेटर को एक ही समय में एक ही स्कोप के लिए एक से ज्यादा कंट्रोल बॉडी के साथ वैलिड सर्टिफिकेशन एपीमेंट रखने की इजाजत नहीं है।

## 2. अनुबंध पर हस्ताक्षर :

अगले अनुमोदन का आवेदन द्वारा सामान्य प्रबंधक और 30 दिनों के भीतर से इसका सबमिशन में, इंटरेस्टेड पार्टी और खास तौर पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कंट्रोल बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रिक्स्ट किया जाता है। उद्देश्य का अनुबंध है परिभाषा का संविदात्मक दायित्वों का पार्टियों, प्रभावी के लिए का कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2018/848 उत्पादन करने के लिए भरोसेमंद जैविक उत्पादों और रक्षा करें पर्यावरण। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंट्रोल बॉडी इंस्पेक्शन करने की ज़िम्मेदारी लेती है। ऑपरेटर की सुविधाओं के अनुपालन में उपयुक्त राशीय और यूरोपीय संघ संचालन द्वारा कानून बनाना हर साल कम से कम एक ऑन-साइट ऑडिट, जो ज़मीन के सस्तेनेबल मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर रेगुलेशन (EU) 2018/848 और कमीशन इप्लीमेंटिंग एंड डेलीगेटेड रेगुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी लेता है, जो अभी लागू है।

ये डॉक्यूमेंट एक इंटीग्रल डॉक्यूमेंट बनाते हैं भाग का ऑपरेटर का अनुबंध :

- a) वर्तमान विनियमन प्रमाणीकरण ;
- b) अनुरोधित प्रमाणन दायरे से संबंधित प्रमाणन विनियमन का अनुलग्न ;
- c) सर्टिफिकेशन लोगों के इस्तेमाल से जुड़ा ट्रेडमार्क और लेबलिंग रेगुलेशन, जो क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मिलता है ;

- d) मूल्य सूची और संबंधित मूल्य विश्लेषण को अनुरोधित प्रमाणीकरण दायरा , जहाँ स्टीक देय राशि और भुगतान विधि हैं बताया गया है । प्लाट प्रोडक्शन के मामले में लिस्ट का खेतों भी संलग्न है ।

बाद हस्ताक्षर अनुबंध ऑपरेटर है दर्ज कराई में निरीक्षण और प्रमाणीकरण प्रणाली का नियंत्रण निकाय और को एक प्रमाणपत्र रजिस्ट्री ऑपरेटरों का, जहाँ यह अवशेष जब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता । अगर लागू हो, तो कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर को रिपोर्ट करना होगा की शुरुआत इसका गतिविधियाँ में जैविक खेती दस (10) दिनों के भीतर से अनुबंध पर हस्ताक्षर को ऑपरेटर जिस देश में है, वहाँ की संबंधित अधीरिटी। एक सर्टिफाइड कॉफी का यह रिकॉर्ड रखने के लिए कंट्रोल बॉडी को एक्नॉलैजमेंट देना होगा।

## 3. निरीक्षण :

12 महीनों के भीतर प्रमाणन समझौते पर हस्ताक्षर , नियंत्रण निकाय आयोजित एक साइट पर निरीक्षण रेगुलेशन (EU) 2018/848 और कंट्रोल बॉडी के इंस्पेक्शन प्रोसेस के अनुसार , ताकि:

- सत्यापित करें प्रस्तुत घोषणा -विवरण प्रपत्र और ऑपरेटर के आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी ;
- ऑपरेटर की गतिविधियों का मूल्यांकन करें के अनुसार आईएसओ / आईईसी 17065 मानक और आवश्यकताएं विनियमन (ईयू) 2018/848 से संबंधित जैविक उत्पादन और निर्धारित करें कि क्या आवश्यकताएं वर्तमान राशीय और यूरोपीय जैविक उत्पादन के लिए कानून पूरे किए जाएं ;
- किसी भी गैर- अनुरूपता की पहचान करें और संबंधित गैर-अनुरूपताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारामक कार्रवाई के कार्यान्वयन का अनुरोध करें ऑपरेटर का अनुपालन प्रासंगिक यूरोपीय संघ विनियमों के साथ के लिए अनुरोधित सर्टिफिकेशन का दायरा।

निरीक्षण तिथि है व्यवस्था की द्वारा द कंट्रोल शरीर ऑपरेटर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए। ऑपरेटर है प्राणी सूचित इसके संबंध में अतिम तारीख का निरीक्षण और निरीक्षण टीम , जो बना होना का एक या अधिक इंस्पेक्टरों को, इंस्पेक्शन से कम से कम 5 दिन पहले। तारीख को लेकर असहमति होने पर, इंस्पेक्शन फिर से तय किया जाता है। हालांकि, नई तारीख ऑपरेटर को शुरू में बताई गई इंस्पेक्शन की तारीख से 5 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती । ऑपरेटर इंस्पेक्शन टीम के किसी सदस्य या सदस्यों के बारे में लिखकर और सही आपति उठा सकते हैं । अगर कंट्रोल बॉडी आपति मान लेती है, तो जिस सदस्य या सदस्यों के लिए आपति उठाई गई थी, उन्हें बदल दिया जाएगा। ऑपरेटर को किसी भी आपति के लिए, चाहे वह इंस्पेक्शन की तारीख से जुड़ी हो या इंस्पेक्शन टीम से, इंस्पेक्शन से 5 दिन पहले कंट्रोल बॉडी को बताना होगा। इंस्पेक्शन के दौरान ऑपरेटर का कंसल्टेट मौजूद रह सकता है, अगर ऑपरेटर कंट्रोल बॉडी को इस बारे में बताता है। कंसल्टेट को इंस्पेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है।

कंट्रोल सिस्टम में शुरुआती सबमिशन के लिए इंस्पेक्शन में शामिल हैं :

- पूर्ण ऑन-साइट निरीक्षण का पंजीकृत उत्पादन कारक और उत्पादन प्रक्रिया ;

- साइट पर निरीक्षण का सुविधाएँ ;
- लेखांकन दस्तावेज़ नियंत्रण ;
- नमूना में आदेश को किसी का पता लगाना संबंधित EU रेगुलेशन के अनुसार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल के लिए गैर-अधिकृत पदार्थ या अगर लागू हो, तो उन तकनीकों के इस्तेमाल को वेरिफाई करने के लिए जो संबंधित EU Regulations का पालन नहीं करती है। गैर-अधिकृत प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के शक के मामले में सैंपलिंग ज़रूरी है।
- एहतियाती निगरानी संदृष्टि से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदम गैर-अधिकृत उत्पादों द्वारा या पदार्थ ।

पूरा होने पर निरीक्षण के रिपोर्ट पूरी हो गई है जो रिकॉर्ड करता है निरीक्षण परिणाम , रेगुलेशन (EU) 2018/848 के जिन नियमों का उल्लंघन किया गया था और उनसे जुड़े प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद लीड इंस्पेक्टर सूचित करता है परिणाम के संबंध में ऑपरेटर का निरीक्षण किया निरीक्षण का पहचानकर एक नकल रिपोर्ट का। अगर इंस्पेक्शन के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो ऑपरेटर को ज़रूरी सुधार के कदम उठाने होंगे। द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कंट्रोल बॉडी। सुधार के काम नियंत्रण निकाय द्वारा समीक्षा की जाती है और संभावित रूप से इसके अलावा एक नया इंस्पेक्शन भी होता है। अगर नियंत्रण निकाय विफल रहता है उपाय करने के लिए सहमत नियमों के भीतर गैर-अनुरूपता अवधि, यह मई डी सर्टिफिकेशन का परिणाम उत्पादों का और/या कंट्रोल बॉडी के साथ किए गए सर्टिफिकेशन एनीमेंट को खत्म करने में।

## B. प्रमाणीकरण :

सभी प्रलेखन इकट्ठा द्वारा द कंट्रोल शरीर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया और सभी अन्य उपयुक्त दस्तावेज़ वह भी थे एकत्र किया हुआ हैं प्राणी की समीक्षा द्वारा एक इंडिपेंडेंट इवेल्यूएटर, जो साइंटिफिक कार्डिसिल का मेंबर भी हो सकता है। इवेल्यूएटर इवेल्यूएशन रिपोर्ट भरता है और सर्टिफिकेशन देने या न देने का फैसला करता है।

के बाद, ऑपरेटर को A CERT की सर्टिफाइड ऑपरेटरों की रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाता है और उसे प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मिल सकता है। उन ऑपरेटरों को सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा सकते जो इंस्पेक्शन के दौरान पहचानी गई सभी कमियों को ठीक करने में नाकाम रहे। सर्टिफिकेशन देने का मतलब है अपने आप सर्टिफिकेशन लोगों (EU कमीशन का लोगो और A CERT लोगो) इस्तेमाल करने का अधिकार देना। कंट्रोल बॉडी अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की लेबलिंग पर नजर रखती है और लेबलिंग में शामिल किसी भी दूसरे इंडिकेशन के लिए उसकी कोई ज़िमेदारी नहीं होती, जिस पर आम कानूनी ज़रूरतें लागू होती हैं।

इंटीग्रिटी कंट्रोल कमेटी सही सर्टिफिकेशन देने पर नजर रखती है।

## C. निगरानी निरीक्षण :

प्रमाणन प्रदान करने के बाद एक CERT आयोजित करता है निगरानी आडिट में आदेश सुरक्षा करना निरंतर संतुष्टि का आवश्यकताएँ का विनियमन और सत्यापित करें का अनुपालन प्रमाणित ऑपरेटर का गतिविधियाँ जैविक के संबंध में उत्पादन, तैयारी या आयात तीसरे से देश।

निगरानी में ये शामिल हैं :

### 1) वार्षिक निरीक्षण :

इन्हें रेगुलेशन (EU) 848/2018 की ज़रूरतों के हिसाब से साल में कम से कम एक बार और किसी भी हालत में फसल उत्पादन के लिए खेती की जाने वाली प्रजातियों के मौजूदा बढ़ते मौसम के अंदर ; जानवरों के उत्पादन के लिए ब्रीडिंग साल के अंदर; और तैयारी करने वाले ऑपरेटरों के लिए मौजूदा तैयारी के मौसम के अंदर किया जाता है। धोषित ऑडिट के मामले में तारीख परामर्श से निर्धारित किया जाता है ऑपरेटर के साथ। मैं कोई मामला निरीक्षण अवश्य होना चाहिए प्रारंभिक निरीक्षण तिथि से 5 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए कंट्रोल बॉडी द्वारा ऑपरेटर को सूचित किया जाएगा। निरीक्षण दल आयोजित करता है का पूर्ण भौतिक निरीक्षण ऑपरेटर; ऑपरेटर के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन की जांच करता है; और संभावित रूप से इसके अनुसार सैंपलिंग करता है विनियमन (ईयू) 2018/848 के साथ।

कुल मिलाकर, सभी ऑपरेटर और ऑपरेटर के ग्रुप, रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 34(2) और 35(8) में बताए गए ऑपरेटर को छोड़कर, साल में कम से कम एक बार कंप्लायंस के वेरिफिकेशन के लिए जाएगे। कंप्लायंस के वेरिफिकेशन में मौके पर जाकर फिजिकल इंस्पेक्शन शामिल होगा।

दो फिजिकल ऑन-द-स्पॉट इंस्पेक्शन के बीच का समय 24 महीने से ज्यादा नहीं होगा, अगर ये शर्तें पूरी हों:

- संबंधित ऑपरेटर या ऑपरेटरों के ग्रुप के पिछले इंस्पेक्शन में कम से कम लगातार तीन सालों तक ऑर्गेनिक या इन-कन्वर्जन प्रोडक्ट्स की इंटीग्रिटी पर असर डालने वाली कोई भी नॉन-कम्प्लायंस सामने नहीं आई है; और
- संबंधित ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह का मूल्यांकन विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38 (2) और विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुच्छेद 9 में संदर्भित तत्वों के आधार पर किया गया है, जो गैर-अनुपालन की कम संभावना प्रस्तुत करते हैं।

### 2) अतिरिक्त निरीक्षण :

हर साल बिना बताए इंस्पेक्शन से गुज़रने वाले ऑपरेटरों का चुनाव कंट्रोल बॉडी के बनाए रिस्क एनालिसिस के आधार पर किया जाएगा और इंस्पेक्शन की योजना उन क्राइटरिया के हिसाब से बनाई जाएगी जो रिस्क का लेवल तय करते हैं। कंट्रोल बॉडी यह पक्का करेगी कि हर साल रेगुलेशन (EU) 2018/848 और रेगुलेशन (EU) 2021/279 के अनुसार, सभी रजिस्टर्ड ऑपरेटरों में से कम से कम 10% का एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन रैम्ड बेसिस पर किया जाएगा। एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन का कारण और कारण हो सकता है कोई भी जानकारी जिससे संदेह पैदा होता है अप्रभावी आवश्यकताओं का अनुप्रयोग विनियमन के द्वारा एक ऑपरेटर, या जहाँ प्रतिस्थापन का जोखिम है जैविक उत्पादों साथ ऐसे उत्पाद जो नहीं बन रहे हैं उत्पादित, तैयार या आयातित से तीसरा रेगुलेशन (EU) 2018/848 और अभी लागू संबंधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार देशों में। इसके अलावा, हर साल होने वाले सभी इंस्पेक्शन में से 10% बिना बताए किए जाएंगे। इस तरह के इंस्पेक्शन ऑपरेटर को पहले से बताए बिना किए जाते हैं।

### 3) नमूनाकरण:

नियंत्रण निकाय अंजाम देना वार्षिक नमूने को PERCENTAGE सभी ऑपरेटरों के साथ प्रमाणित उत्पादों विनियमन (ईयू) 2018/848, विनियमन (ईयू) 2021/1698 और विनियमन (ईयू) 2021/279 के अनुसार। प्रयोग पर कंट्रोल बॉडी के कर्मचारियों का सैंपल लेना सैंपल लेता है और

उसे A CERT को भेजता है। नियंत्रण निकाय तब आगे नमूना विश्लेषण के लिए एक मान्यता प्राप्त लैब जो A CERT के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। परिणामों को सत्यापित करने का काउंटर सैपल प्रयोगशाला में रखे जाते हैं 30 दिनों तक। सटीक समय निर्भर करता है नमूने का प्रकार और जिन चीजों का एनालिसिस किया जाता है, वे ज़रूरी चीज़ें। सभी इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्शन टीम सैपल लेती है। सदेह के मामले में विश्लेषण उपयोग के संबंध में गैर-अधिकृत उत्पादों के या की संभावना दृष्टिंगत बिना इजाजत वाले प्रोडक्ट्स से। इन मामलों में सैपल की कम से कम संख्या (कुल ऑपरेटर्स की संख्या का 5%) जो लेने और एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है, लागू नहीं होती है।

4) के मामले में निगरानी निगरानी निरीक्षण के दौरान गैर-अनुपालन, उनकी सीमा और गंभीरता, ऑपरेटर को लेना होगा सुधारात्मक कार्रवाई एक निर्दिष्ट के भीतर समय-सीमा निर्धारित कंट्रोल बॉडी के साथ सलाह करके। सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की जाएगी कंट्रोल बॉडी द्वारा। इस मामले में अतिरिक्त जांच की जा सकती है। अगर ऑपरेटर विफल रहता है को उपचार गैर-अनुपालन अंदर मान गया समय, यह हो सकता है प्रतिबंध प्रवर्तन।

कंट्रोल बॉडी प्रोडक्शन, तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन के सभी स्टेज पर जनरल रिस्क एनालिसिस के आधार पर सालाना और बिना बताए इंस्पेक्शन करती है, जिसमें कम से कम ये क्राइटेरिया ध्यान में रखे जाते हैं (रेगुलेशन (EU) 2018/848 का आर्टिकल 38):

क) प्रचालकों एवं प्रचालकों के समूहों का प्रकार, आकार एवं संरचना;

ख) वह सम्यावधि जिसके दौरान संचालक और संचालकों के समूह जैविक उत्पादन, तैयारी और वितरण में शामिल रहे हैं;

ग) इस अनुच्छेद के अनुसार किए गए निरीक्षणों के परिणाम;

घ) की गई गतिविधियों के लिए प्रासंगिक समय बिंदु;

ई) उत्पाद श्रेणियाँ;

च) उत्पादों का प्रकार, मात्रा और मूल्य तथा समय के साथ उनका विकास;

छ) गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों के साथ उत्पादों के मिश्रण या संयूष्ण की संभावना;

ज) ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों द्वारा नियमों में क्षुट या अपवाद का आवेदन;

(i) गैर-अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तथा उत्पादन, तैयारी एवं वितरण के प्रत्येक चरण पर गैर-अनुपालन की संभावना;

(जे) उप-ठेका गतिविधियाँ।

## अनुच्छेद 5

### प्रारंभन

1. कन्वर्जन पीरियड के दौरान बनाए गए प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या इन-कन्वर्जन प्रोडक्ट्स के तौर पर मार्केट नहीं किया जाएगा।

लेकिन, कन्वर्जन पीरियड के दौरान और रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 10 के पैराग्राफ 1 के हिसाब से बनाए गए नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को इन-कन्वर्जन प्रोडक्ट्स के तौर पर मार्केट किया जा सकता है:

(ए) पौधे की प्रजनन सामग्री, बशर्ते कि कम से कम 12 महीने की रूपांतरण अवधि का अनुपालन किया गया हो;

(ब) पौधों से बने फूड प्रोडक्ट्स और पौधों से बने फ़ीड प्रोडक्ट्स, बशर्ते कि प्रोडक्ट में सिर्फ़ एक खेती की फसल का इंग्रिडिएट हो, और कटाई से कम से कम 12 महीने पहले कन्वर्जन पीरियड का पालन किया गया हो।

2. जिस फार्म पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुरू किया गया था, उसका कन्वर्जन पीरियड जल्द से जल्द तब शुरू होगा जब ऑपरेटर ने A CERT के साथ सर्टिफिकेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया हो और अपनी होलिंग को रेगुलेशन (EU) 2018/848 के अनुसार कंट्रोल सिस्टम के अधीन कर दिया हो।

i. रूपांतरण अवधि के दौरान विनियमन (ईयू) 2018/848 में निर्दिष्ट सभी नियम लागू होते हैं;

ii. पौधों और पौधों के प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स माना जाए, इसके लिए इस रेगुलेशन में दिए गए प्रोडक्शन नियम, बुवाई से कम से कम दो साल पहले के कन्वर्जन पीरियड के दौरान, या घास के मैदान या बारहमासी चारे के मामले में, ऑर्गेनिक चारे के तौर पर इस्तेमाल होने से कम से कम दो साल पहले के समय के दौरान, या चारे के अलावा दूसरी बारहमासी फसलों के मामले में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पहली कटाई से कम से कम तीन साल पहले के समय के दौरान लागू होंगे।

3. CERT पिछली किसी भी ऐसी अवधि को, जिसमें खेत के टुकड़े प्राकृतिक या खेती के इलाके थे, जिन्हें ऐसे प्रोडक्ट से टीट नहीं किया गया था जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में इस्तेमाल के लिए ऑर्थराइज्ड नहीं थे, कन्वर्जन पीरियड का हिस्सा मानने का फैसला कर सकता है। इस अवधि को पिछली अवधि में तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब CERT के पास संतोषजनक सबूत जमा किए गए हों कि कम से कम तीन साल की अवधि के लिए शर्तें पूरी की गईं थीं।

4. ऊपर बताए गए कन्वर्जन पीरियड को तय करने के लिए, ये शर्तें एक जैसी होनी चाहिए:

i. CERT कन्वर्जन पीरियड की रेट्रोएक्टिव मान्यता के लिए एप्लीकेशन को तभी रिव्यू करेगा, जब ऑपरेटर इसके लिए लिखित डिक्लोरेशन जमा करेगा। ऐसे मामलों में, सबूत देने की ज़िम्मेदारी ऑपरेटर की होती है।

ii. अगर एप्लिकेट ने कोई संतोषजनक सबूत जमा नहीं किया है, तो CERT कन्वर्जन पीरियड शुरू होने की तारीख से ठीक पहले के किसी भी पीरियड को मान्यता देने के लिए मजबूर नहीं है।

iii. अगर कंट्रोल सिस्टम में रजिस्टर्ड कोई ऑपरेटर कन्वर्जन पीरियड के हिस्से के तौर पर किसी पिछले टाइम पीरियड की रेट्रोएक्टिव पहचान के लिए रिकॉर्ड करता है, तो पासल में रिकॉर्ड A CERT को सबमिट की जाती है और उसके साथ रेगुलेशन (EC) 2020/464 में बताए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए।

कंट्रोल बॉडी रिकॉर्ड को जांचने के बाद, अगर वह सहमत है, तो संबंधित रेट्रोएक्टिव मान्यता देती है।

5. कुछ मामलों में, CERT यह तय कर सकता है कि ज़ामीन या उसके एक या उद्यादा टुकड़े ऐसे प्रोडक्ट या चीज़ों से खराब हो गए हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में इस्तेमाल के लिए ऑर्थराइज्ड नहीं हैं, तो संबंधित ज़ामीन या टुकड़ों के लिए कन्वर्जन पीरियड को पैराग्राफ 1(ii) में बताए गए समय से आगे बढ़ाया जाए, उन टुकड़ों के मामले में जो पहले ही ऑर्गेनिक खेती में बदल चुके हैं या बदलने की प्रोसेस में थे, और जिनमें ऐसे

प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। इस मामले में, कन्वर्जन पीरियड की लंबाई इन बातों को ध्यान में रखकर तथ्य की जाएगी:

- i. संबंधित उत्पाद के अपघटन की प्रक्रिया, रूपांतरण अवधि के अंत में, मिट्टी में अवशेषों के एक नगण्य स्तर की गारंटी देगी और, बारहमासी फसल के मामले में, पौध में;
- ii. ट्रीटमेंट के बाद फसल को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तरीकों के हिसाब से नहीं बेचा जा सकता है। CERT, किसी खास तीसरे देश में काम करने वाली दूसरी कंटोल बॉडीज और यूरोपियन कमीशन को ज़रूरी कदम उठाने के अपने फैसले के बारे में बताएगा।

## अनुच्छेद 6

### समानांतर उत्पादन

1. एक प्लांट प्रोडक्शन ऑपरेटर एक ही एरिया में ऑर्गेनिक और नॉन-ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यूनिट चला सकता है, सिर्फ बारहमासी फसलों के लिए, जिनके लिए कम से कम तीन साल की खेती की ज़रूरत होती है, जहाँ किसी में आसानी से फ़र्क नहीं किया जा सकता और सिर्फ तभी जब ये शर्तें पूरी हों:
  - i. विचाराधीन उत्पादन एक रूपांतरण योजना का हिस्सा है जिसके संबंध में उत्पादक एक डढ़ वर्चन देता है और जो संबंधित क्षेत्र के अंतिम भाग के जैविक उत्पादन में रूपांतरण की शुरुआत को यथासंभव कम से कम अवधि में शुरू करने की व्यवस्था करता है, जो किसी भी स्थिति में अधिकतम पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है;
  - ii. प्रत्येक संबंधित इकाई से प्राप्त उत्पादों का स्थायी पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं;
  - iii. प्रत्येक उत्पाद की कटाई के बारे में कम से कम 48 घंटे पहले एक सीईआरटी को सूचित किया जाता है;
  - iv. फसल की कटाई पूरी होने पर, उत्पादक संबंधित इकाइयों पर काटी गई सही मात्रा और उत्पादों को अलग करने के लिए लागू उपायों के बारे में एक प्रमाण पत्र को सूचित करता है;
  - v. कन्वर्जन प्लान और रेगुलेशन (EU) 2018/848 और रेगुलेशन (EU) 2021/1698 में बताए गए कंटोल उपायों को A CERT ने मंजूरी दे दी है; कन्वर्जन प्लान शुरू होने के बाद हर साल इस मंजूरी को कन्फर्म किया जाएगा;
2. प्रोडक्शन के अलावा, ऊपर बताई गई शर्तें भी लागू हो सकती हैं:
  - i. कृषि अनुसंधान या औपचारिक शिक्षा के लिए इच्छित क्षेत्रों के मामले में ए सी ई आर टी से सहमति व्यक्त की गई है;
  - ii. बीज उत्पादन, वानस्पतिक प्रसार सामग्री और प्रत्यारोपण के मामले में और
  - iii. केवल चराई के लिए उपयोग किए जाने वाले घास के मैदान के मामले में।

## अनुच्छेद 7

नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल के इस्तेमाल के लिए ऑथराइज़ेशन

1. पादप प्रजनन सामग्री के अलावा पौधों और पादप उत्पादों के उत्पादन के लिए, केवल जैविक पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

2. प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल को पाने के लिए, मदर प्लांट और, जहाँ ज़रूरी हो, प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल प्रोडक्शन के लिए बने दूसरे पौधों को रेगुलेशन (EU) 2018/848 के अनुसार कम से कम एक जेनरेशन के लिए, या, बारहमासी फसलों के मामले में, दो ग्रोइंग सीज़न के दौरान कम से कम एक जेनरेशन के लिए उगाया गया होगा।

3. एक CERT, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में इस्तेमाल के लिए प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल बनाने वाले ऑपरेटरों को नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है, जब मदर प्लांट या, जहाँ ज़रूरी हो, प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल के प्रोडक्शन के लिए बनाए गए और इस आर्टिकल के पैराग्राफ 2 के हिसाब से बनाए गए दूसरे पौधे काफ़ी मात्रा या कालिटी में उपलब्ध न हों, और ऐसे मर्टीरियल को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में इस्तेमाल के लिए मार्केट में रखने की इजाज़त दे सकता है, बशर्ते नीचे दी गई शर्तें पूरी हों:

(ए) उपयोग की गई गैर-जैविक पौधे प्रजनन सामग्री को कटाई के बाद विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 24(1) के अनुसार अधिकृत पौधों के संरक्षण उत्पादों के साथ इलाज नहीं किया गया है, जब तक कि संबंधित सदस्य राज्य के संक्षम अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में किसी दी गई प्रजाति की सभी किसों और विषम सामग्री के लिए विनियमन (ईयू) 2016/2031 के अनुसार फाइटोसैनिटरी उद्देश्यों के लिए रासायनिक उपचार निर्धारित नहीं किया गया हो जिसमें पौधे प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाना है। जहाँ ऐसे निर्धारित रासायनिक उपचार से उपचारित गैर-जैविक पौधे प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिस भूमि पार्सल पर उपचारित पौधे प्रजनन सामग्री उग रही है, जहाँ उपयुक्त हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग I के बिंदु 1.7.3 और 1.7.4 में प्रदान की गई रूपांतरण अवधि के अधीन होगी;

(ख) उपयोग की गई गैर-जैविक पौध प्रजनन सामग्री ऐसी प्रजाति का पौधा नहीं है जिसका खेती चक्र एक ही मौसम में पूरा हो जाता है, पौधे के प्रत्यारोपण से लेकर उत्पाद की पहली कटाई तक;

(ग) पौध की प्रजनन सामग्री को अन्य सभी प्रासंगिक जैविक पौधे उत्पादन आवश्यकताओं के अनुपालन में उगाया जाता है;

(घ) गैर-जैविक पौध प्रजनन सामग्री का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण उस सामग्री को बोने या रोपण करने से पहले प्राप्त किया जाएगा;

(ई) प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार संक्षम प्राधिकारी, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय प्राधिकरण केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को और एक समय में एक मौसम के लिए ही प्रदान करेगा, और अधिकत धौंधे प्रजनन सामग्री की मात्रा सूचीबद्ध करेगा;

(फ) पॉइंट (e) से हटकर, सदस्य देशों की संक्षम अपॉरिटी हर साल किसी खास स्पीशीज़, सब-स्पीशीज़ या नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल की विस्तृति के इस्तेमाल के लिए जनरल ऑथराइज़ेशन दे सकती हैं और स्पीशीज़, सब-स्पीशीज़ या वैरायटी की लिस्ट पब्लिकी अवलोबल करा सकती है और इसे हर साल अपडेट करती रहेंगी। उस मामले में, वे संक्षम अपॉरिटी ऑथराइज़ नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मर्टीरियल की कांटिटी लिस्ट करेंगी;

(ग) इस पैराग्राफ के अनुसार दिए गए ऑथराइज़ेशन 31 दिसंबर 2036 को खत्म हो जाएंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अपवाद के रूप में, तीसरे देशों में ऑपरेटर अनुच्छेद 5(1), दूसरे उप-पैराग्राफ, बिंदु (ए) के अनुसार रूपांतरण में पादप प्रजनन सामग्री, या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अनुसार अधिकृत पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जब यह उचित हो कि जैविक पादप प्रजनन सामग्री तीसरे देश के क्षेत्र में पर्याप्त गुणवत्ता या मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिसमें ऑपरेटर स्थित है।

संबंधित राष्ट्रीय नियमों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, तीसरे देशों में ऑपरेटर अपनी होल्डिंग से मिले ऑर्गेनिक और इन-कन्वर्जन प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक CERT तीसरे देशों में ऑपरेटरों को किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यूनिट में नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है, जब ऑर्गेनिक या इन-कन्वर्जन प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल या इस आर्टिकल के पैराग्राफ 3 के अनुसार इजाजत वाला प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल, ऑपरेटर के द्वालके में, इस आर्टिकल के पैराग्राफ 5, 6, 7 और 8 में बताई गई शर्तों के तहत, सही कालिटी या कांटटी में उपलब्ध न हो।

5. गैर-जैविक पौधों की प्रजनन सामग्री को कटाई के बाद उन पौध संरक्षण उत्पादों के साथ उपचारित नहीं किया जाएगा जो विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 24(1) के अनुसार पौधों की प्रजनन सामग्री के उपचार के लिए अधिकृत हैं, जब तक कि संबंधित सदस्य राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में किसी दी गई प्रजाति की सभी किसों और विषम सामग्री के लिए विनियमन (ईयू) 2016/2031 के अनुसार फाइटोसैनिटरी उद्देश्यों के लिए रासायनिक उपचार निर्धारित न किया गया हो जिसमें पौधे की प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाना है।

जहां पहले पैराग्राफ में बताए गए बताए गए केमिकल ट्रीटमेंट से टीट किया गया नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, वहां जिस पार्सल पर ट्रीट किया गया प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल उग रहा है, वह, जहां सही हो, रेगुलेशन (EU) 2018/848 के एनेक्स II के पार्ट I के पॉइंट 1.7.3 और 1.7.4 में दिए गए कन्वर्जन पीरियड के तहत होगा।

6. गैर-जैविक पौधों के प्रजनन सामग्री का उपयोग करने का प्राधिकरण फसल की बुवाई या रोपण से पहले प्राप्त किया जाएगा।

7. नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल इस्तेमाल करने का ऑपराइज़ेशन हर यूज़र को एक बार में एक सीज़न के लिए दिया जाएगा, और ऑपराइज़ेशन के लिए जिम्मेदार सक्षम अध्यारीटी, कंट्रोल अध्यारीटी या बॉडी ऑपराइज़ एक प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल की मात्रा लिस्ट करेगी।

8. सक्षम अधिकारी उन प्रजातियों के पौधों के मामले में गैर-जैविक पौधों के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे, जिनका खेती का चक्र एक ही मौसम में पूरा हो जाता है, पौधे के प्रत्यारोपण से लेकर उत्पाद की पहली फसल तक।

9. इस आर्टिकल के पैराग्राफ 2 में बताए गए नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल के इस्तेमाल के लिए ऑपराइज़ेशन देने से पहले, एक CERT नीचे दी गई जानकारी की जांच करेगा और दी गई हर छूट के लिए एक जस्टिफिकेशन तैयार करेगा:

(ए) वैशानिक और सामान्य नाम (सामान्य और लैटिन नाम);

(ख) विविधता;

(ग) संबंधित बीजों का कुल भार अथवा पौधों की संख्या;

(घ) जैविक अथवा रूपांतरित पादप प्रजनन सामग्री की उपलब्धता;

(ई) ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट या बयान जो यह साबित करता है कि इस आर्टिकल के पैराग्राफ 2 में बताई गई ज़रूरतें पूरी हो गई हैं।

इस आर्टिकल के पैराग्राफ 2 में बताए गए नॉन-ऑर्गेनिक प्लांट रिप्रोडक्टिव मटीरियल के इस्तेमाल के लिए हर ऑपराइज़ेशन के लिए, एक CERT, रेगुलेशन 2021/1698 के आर्टिकल 4 में बताई गई एनुअल रिपोर्ट में ज़रूरी जानकारी शामिल करेगा।

## अनुच्छेद 8

### विनाशकारी परिस्थितियाँ

CERT टेम्पररी बेसिस पर ऑपराइज़ कर सकता है अगर किसी फसल के साल में मौसम की बहुत ज्यादा खराब हालत की वजह से किसी तीसरे देश के किसी खास इलाके में ऑर्गेनिक अंगूरों की

साफ़-सफाई की हालत खराब हो जाती है, तो रेगुलेशन (EC) नंबर 606/2009 के एनेक्स IB के मुताबिक तथ की गई ज्यादा से ज्यादा मात्रा तक सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि गंभीर बैक्टीरियल या फंगल ऑटेक की वजह से वाइन बनाने वाले को पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वैसा ही फाइनल प्रोडक्ट मिल सके।

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 22(1) और 45(3) में संबंधित असाधारण उत्पादन नियमों के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थिति को 'प्रतिकूल जलवायु घटना', 'पशु रोगों से उत्पन्न भयावह परिस्थितियों के रूप में योग्य बनाने के लिए, किसी 'प्रत्यायनमेंटल घटना', 'नेचुरल डिज़ास्टर' या 'कैटास्ट्रॉफिक इवेंट' के साथ-साथ किसी भी मिलती-जुलती स्थिति में, A CERT उस स्थिति को कैटास्ट्रॉफिक हालात के तीर पर पहचान सकता है, जो उस तीसरे देश के संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बयान पर आधारित हो, जहाँ वह स्थिति होती है, जहाँ उपलब्ध हो। अगर ऐसा कोई बयान उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कोई भी पहचान A CERT, कैटास्ट्रॉफिक हालात को सही ठहराने वाले ऑफिशियल ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा दिए गए डेटा पर आधारित होगी।

A CERT से मंजूरी मिलने पर, अलग-अलग ऑपरेटर ऊपर दिए गए एक्सेसन के इस्तेमाल का डॉक्यूमेंट्री सबूत रखेंगे। A CERT, संबंधित तीसरे देश में रेगुलेशन (EU) 2018/848 के अनुसार कम्प्लायस के मक्सद से मान्यता प्राप्त सभी दूसरी कंट्रोल बॉर्डीज़ और कमीशन को इस आर्टिकल के प्रोविज़न के तहत दिए गए एक्सेसन के बारे में बताएगा।

## अनुच्छेद 9

लेबलिंग - अनिवार्य संकेत

जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मेथड से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है:

(ए) आवेदक जिस तीसरे देश में काम कर रहा है, उसके आधार पर ए सीईआरटी की कोड संख्या (संख्याएं) भी लेबलिंग में दिखाई देगी;

(बी) पर्व-पैकेज खाद्य के संबंध में यूरोपीय संघ का जैविक उत्पादन लोगों भी पैकेजिंग पर दिखाई दे सकता है;

(स) जहां कम्प्युनिटी लोगों का इस्तेमाल किया गया है, वहां उस जगह का संकेत जहां खेती के कच्चे माल की खेती की गई है, जिससे प्रोडक्ट बना है, वह भी लोगों के जैसे ही दिखने वाले हिस्से में दिखेंगा और नीचे दिए गए रूपों में से कोई एक होगा, जैसा सही हो:

- i. 'नॉन-EU एग्रीकल्चर', जहां खेती का कच्चा माल तीसरे देशों में उगाया गया हो,
- ii. 'EU/नॉन-EU एग्रीकल्चर', जहां खेती के कच्चे माल का कुछ हिस्सा कम्प्युनिटी में और कुछ हिस्सा किसी तीसरे देश में उगाया गया हो।

ऊपर बताया गया इंडिकेशन 'EU' या 'non-EU' को कोई देश बदल सकता है या उसमें शामिल कर सकता है, अगर प्रोडक्ट बनाने वाला सारा एग्रीकल्चरल रॉ मटीरियल उसी देश में उगाया गया हो।

ऊपर बताए गए 'EU' या 'नॉन-EU' इंडिकेशन के लिए, वज़न के हिसाब से चीजों की छोटी मात्रा को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि नज़रअंदाज़ की गई चीजों की कुल मात्रा, खेती से बने कच्चे माल की कुल वज़न की मात्रा के 2% से ज़्यादा न हो।

ऊपर बताया गया 'EU' या 'non-EU' इंडिकेशन, प्रोडक्ट के सेल्स डिस्किप्शन से ज़्यादा साफ़ रंग, साइज़ और स्टाइल के लेटरिंग में नहीं दिखना चाहिए।

ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तरीके के बारे में जानकारी को ऐसी साफ़ जगह पर मार्क किया जाएगा जो आसानी से दिखें, साफ़-साफ़ पढ़ा जा सके और मिटाया न जा सके।

## अनुच्छेद 10

तीसरे देश, कोड नंबर और प्रोडक्ट कैटेगरी

यूरोपियन कमीशन फॉर थर्ड कंट्रीज ने एक CERT को ये कोड नंबर दिए हैं, इसे रेगुलेशन (EU) 2018/848 के अनुसार, कम्प्लायंस के मकसद से एक कंट्रोल बॉडी के तौर पर मान्यता दी गई है।

तीसरा देश	कोड संख्या	उत्पादों की श्रेणी					
		ए	बी	सी	डी	ई	एफ
-	-	-	-	-	-	-	-

\* ऊपर दिए गए प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में दिए गए अक्षर इन चीज़ों के लिए हैं:  
 ए- असंसाधित पौधे और पौध उत्पाद, जिसमें बीज और अन्य पौध प्रजनन सामग्री शामिल हैं;  
 बी- पशुधन और अप्रासंस्कृत पशुधन उत्पाद;  
 सी- शैवाल और अप्रासंस्कृत जलीय कृषि उत्पाद;  
 डी- खाद्य के रूप में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, जिसमें जलीय कृषि उत्पाद भी शामिल हैं;  
 ई- फ्रॉड;  
 एफ- शराब;  
 G- इस रेगुलेशन के एनेक्स I में लिस्ट दूसरे प्रोडक्ट्स या पिछली कैटेगरी में कवर नहीं होने वाले प्रोडक्ट्स।

## अनुच्छेद 11

प्रमाणित ऑपरेटरों की सूची

CERT अपनी वेबसाइट ([www.a-cert.org](http://www.a-cert.org)) पर तीसरे देशों में कंट्रोल सिस्टम के तहत आने वाले सभी ऑपरेटरों की एक लिस्ट रखता है। यह लिस्ट एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ मिल सकती है, जहाँ सभी ऑपरेटरों के सर्टिफिकेशन स्टेटस की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसमें सभी संबंधित प्रोडक्ट कैटेगरी, साथ ही सभी सस्पेंड और डीसर्टफ़ाइड ऑपरेटर और प्रोडक्ट शामिल हैं। सारी जानकारी किसी भी इच्छुक पार्टी के लिए उपलब्ध है।

## अनुच्छेद 12

प्रमाणपत्र

CERT किसी भी ऐसे ऑपरेटर को सर्टिफिकेट देगा जो उसके कंट्रोल में आता है और जो अपनी एक्टिविटी के दायरे में, रेगुलेशन (EU) 2018/848 और रेगुलेशन (EU) 2021/1006 में बताई गई ज़रूरतों को पूरा करता है। डॉक्यूमेंटी सबूत ऑपरेटर की पहचान और प्रोडक्ट के टाइप या रेंज के साथ-साथ वैलिडिटी के समय की भी इजाज़त देते हैं।

- सभी ऑपरेटर अपने सालायर के डॉक्यूमेंटी सबूत वेरिफाई करेंगे।
- डॉक्यूमेंटी सबूत का फॉर्म रेगुलेशन (EU) 2018/848 के एनेक्स VI के अनुसार तैयार किया गया है।

## अनुच्छेद 13

संचार- सूचना का आदान-प्रदान

CERT अपने कंट्रोल के नतीजों पर ज़रूरी जानकारी कमीशन, दूसरी कंट्रोल अर्थोरिटी और किसी तीसरे देश की कंट्रोल बॉडी के साथ शेयर करेगा। एकेडिटेशन बॉडी और सदस्य देश, किसी भी रिकेस्ट पर, जो ज़रूरत के हिसाब से सही हो, यह गारंटी देने के

लिए कि प्रोडक्ट रेगुलेशन (EU) 2018/848 और रेगुलेशन (EU) 2021/1698 के अनुसार बनाया गया है।

CERT अपनी पहल पर दूसरी जानी-मानी कंट्रोल बॉडीज के साथ भी ऐसी जानकारी शेयर कर सकता है।

CERT ने कमीशन, कंट्रोल अर्थोरिटी और किसी तीसरे देश में कंट्रोल बॉडी, एकेडिटेशन बॉडी और सदस्य देशों के साथ जानकारी के लेन-देन के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसीजर बनाए हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट सबूतों को वेरिफाई करने के मकसद से जानकारी के लेन-देन के प्रोसीजर भी शामिल हैं।

## अनुच्छेद 14

### सूचना का प्रकाशन

CERT तीसरे देशों में कंट्रोल सिस्टम के तहत आने वाले ऑपरेटरों की अपडेटेड लिस्ट जनता को देता है। इस लिस्ट में हर ऑपरेटर से जुड़े अपडेटेड डॉक्यूमेंटी सबूत होते हैं, जिसमें उनके सर्टिफिकेशन स्टेटस और संबंधित प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बताया जाता है। यह एक कॉन्टैक्ट पॉइंट भी देता है जहाँ सस्पेंड और डीसर्टफ़ाइड ऑपरेटरों और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ([www.a-cert.org](http://www.a-cert.org)) पर मिल सकती है।

## अनुच्छेद 15

नियमों का पालन न करने पर क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- अगर नियम नहीं माने जाते हैं, तो A CERT तुरंत दूसरी कंट्रोल बॉडी, कंट्रोल अर्थोरिटी और यूरोपियन कमीशन को अपने लगाए गए किसी भी कदम के बारे में बताएगा। बातचीत का लेवल इस बात पर निर्भर करेगा कि गड़बड़ी या उल्लंघन कितना गंभीर है और कितना है।
- CERT, उन तीसरे देशों में, जहाँ वह रेगुलेशन (EU) 2018/848 और संबंधित कमीशन इम्प्लीमेंटिंग और डेलीगेटेड रेगुलेशन के अनुसार कम्प्लायंस के लिए काम करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर इंडिकेशन्स के फ्रॉड इस्तेमाल और यूरोपियन कम्प्युनिटी लोगो के इस्तेमाल को रोकने के लिए जो भी ज़रूरी कदम और रोक होंगी, वे उठाएगा।
- CERT अपनी पहल पर, गड़बड़ियों या उल्लंघन के बारे में कोई और जानकारी मांग सकता है।
- अगर दूसरी कंट्रोल अर्थोरिटी या कंट्रोल बॉडी के कंट्रोल में आने वाले प्रोडक्ट के बारे में कोई गड़बड़ी या उल्लंघन पाया जाता है, तो CERT उन अर्थोरिटी या बॉडी को भी बिना देर किए बताएगा।
- CERT ने एक कैटलॉग बनाया और अपनाया है, जिसमें प्रोडक्ट्स के ऑर्गेनिक स्टेटस पर असर डालने वाले सभी उल्लंघनों और गड़बड़ियों की लिस्ट है, और कंट्रोल सिस्टम के तहत ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में शामिल ऑपरेटरों द्वारा उल्लंघन या गड़बड़ियों के मामले में लागू किए जाने वाले संबंधित उपाय भी हैं।

## अनुच्छेद 16

### कृषि मूल के गैर-जैविक खाद्य पदार्थ

जहाँ खेती से निकला कोई नॉन-ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट, रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 24 और 25 और संबंधित कमीशन इम्प्लीमेंटिंग और डेलीगेटेड रेगुलेशन के अनुसार EU कमीशन की नॉन-ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट की लिस्ट में शामिल नहीं है,

तो उस इंग्रीडिएंट का इस्तेमाल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

अगर यह इंग्रीडिएंट रेगुलेशन (EU) 2018/848 और संबंधित तीसरे देश में संबंधित कमीशन इम्प्लीमेंटिंग एंड डेलीगेटेड रेगुलेशन के अनुसार ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो ऑपरेटर ऑर्गेनिक रूप से प्रोडक्शन किए गए इंग्रीडिएंट का इस्तेमाल करेगा, भले ही प्रोडक्ट रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 24 और 25 और संबंधित कमीशन इम्प्लीमेंटिंग एंड डेलीगेटेड रेगुलेशन के अनुसार EU कमीशन की नॉन-ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट की लिस्ट में शामिल हो, नॉन-ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट का इस्तेमाल करने से पहले ऑपरेटर को एक CERT नोटिफाई करना होगा।

CERT, कमीशन, सदस्य देशों, एक्रेडिटेशन बॉडीज और दूसरी कंट्रोल अधिकारीज और रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 46(1) के अनुसार मान्यता प्राप्त कंट्रोल बॉडीज को उस रेगुलेशन के आर्टिकल 25(4) के अनुसार प्रोसेस ऑर्गेनिक फॉड के लिए नॉन-ऑर्गेनिक एप्रीकल्चरल इंग्रीडिएंट्स के इस्तेमाल के लिए दिए गए किसी भी प्रोविजनल ऑर्थाइज़ेशन के बारे में तुरंत नोटिफाई करेगा। उस नोटिफिकेशन में कमीशन द्वारा उपलब्ध कराए गए डेलीगेटेड फॉर्म में यह जस्टिफिकेशन शामिल होगा कि ऐसा ऑर्थाइज़ेशन रेगुलेशन (EU) 2018/848 के आर्टिकल 25(1) के अनुसार दिया गया है।

## अनुच्छेद 17

कॉपर कंपाउंड और ऑर्गेनिक खेती में उनका इस्तेमाल

कॉपर कंपाउंड जैसे: कॉपर हाइड्रॉक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोरोआइड, कॉपर ऑक्साइड, बोर्डो मिक्सचर, और ट्राइबेसिक कॉपर सल्फेट, जैसा कि रेगुलेशन (EU) 2018/848 में बताया गया है, उन्हें सिर्फ ऑर्गेनिक खांट प्रोडक्शन में बैटरीरिया और फूर्दनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह लिमिट 6 kg प्रति हेक्टेएर प्रति साल तक हो सकती है। सिर्फ बारहमासी फसलों के मामले में, कोई ऑपरेटर किसी दिए गए साल में 6 kg की लिमिट को कम कर सकता है और उससे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि उस साल और उससे पहले के चार सालों को मिलाकर 5 साल के समय में असल में इस्तेमाल की गई औसत मात्रा 6 kg से ज्यादा न हो। इस छूट का फायदा उठाने से पहले, ऑपरेटर को A CERT को दिए गए साल में 6 kg की लिमिट को पार करने की ज़रूरत के बारे में सबूत देते हुए डिटेल में बताना होगा और इसे तभी लागू करेगा जब A CERT इसकी मंजूरी देते हुए एक लिखकर नोटिफिकेशन जारी करेगा।

पानी और नॉन-टारगेट जीवों जैसे बफर ज्वोन को बचाने के लिए भी रिस्क कम करने के उपाय किए जाएंगे।

## अनुच्छेद 18

आपत्तियाँ - अपील

अधिकार उन ऑपरेटरों और थर्ड पार्टी को दिया गया है जो इंस्पेक्टर हैं, अगर और जब वे अपने हितों की लेजिटिमेसी को सही ठहरा सकें।

ऑब्जेक्शन कंट्रोल बॉडी के लोगों या सैंपलिंग के नतीजे पर उठाया जा सकता है और कंट्रोल बॉडी के पास इस मकान के लिए मोजूद सही फॉर्म का इस्तेमाल करके इसे सबमिट किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन का सबमिशन वैलिड माना जाता है, अगर यह इंस्पेक्ट किए गए ऑपरेटर ने काम करते समय किया हो, या सैंपल के केमिकल एनालिसिस के नतीजों के बारे में ऑपरेटर को नोटिफिकेशन देने पर किया हो। थर्ड पार्टी के मामले में, सबमिशन का समय जनरल मैनेजर तय करता है और अगर कंट्रोल बॉडी सही लगती है और तय करती है कि इसमें सही इंटरेस्ट हैं, तो इसे सही कमिटी को भेजा जाता है।

अपील कंट्रोल बॉडी के किसी ऑर्गन के फैसले का ज़िक्र कर सकती है और इस मकान के लिए तय डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके सबमिट की जा सकती है। ऑपरेटर को फैसले की जानकारी देने के पांच (5) वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करना वैलिड माना जाता है।

ऑब्जेक्शन और अपील कमिटी, ऑब्जेक्शन/अपील मिलने के पंद्रह (15) वर्किंग डेज के अंदर मीटिंग करेगी। ऑब्जेक्शन करने वाले को कंट्रोल बॉडी द्वारा जांच की तारीख के बारे में लिखकर बताया जाएगा और वह मीटिंग में हिस्सा लेने की रिकेस्ट कर सकता है। अगर जनरल मैनेजर रिकेस्ट को मंजूरी दे देते हैं, तो ऑपरेटर मीटिंग में हिस्सा ले सकता है और जमा किए गए ऑब्जेक्शन/अपील का स्पोर्ट कर सकता है। जब तक कमिटी कोई फैसला नहीं सुना देती, तब तक जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई है और जमा किए गए कोई भी दूसरे प्रोविजनल उपाय लागू रहेंगे। कमिटी, अगर ज़रूरी हो, तो पार्टियों से और क्लैरिफिकेशन मांग सकती है या मामले की जांच के लिए एक्स्पर्ट्स को शामिल करने की मांग कर सकती है। कमिटी को ऑब्जेक्शन/अपील मिलने के पंद्रह वर्किंग (15) डेज के अंदर फैसला लेना होगा और क्लैम करने वाले/एप्लीकेट को फैसले के बारे में बताना होगा।

## अनुच्छेद 19

CERT के साथ कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटरों के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ

### a. अधिकार:

- कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर तय समय के अंदर इंस्पेक्शन की तारीख या सर्विलांस में बदलाव के लिए सही तरीके से रिकेस्ट कर सकता है।
- कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर इंस्पेक्शन टीम में बदलाव की रिकेस्ट कर सकता है, अगर ऑपरेटर इस आपति को सही ठहरा सके।
- दौरान ऑपरेटर का प्रतिनिधि इंस्पेक्शन टीम के वेरिफिकेशन और/या ऑब्जर्वेशन के बारे में अपनी आपतियाँ दर्ज कर सकता है। प्रतिनिधि इंस्पेक्शन के दौरान साइन किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स में अपनी आपतियाँ या ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है।
- कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर को इंस्पेक्शन के दौरान लीड इंस्पेक्टर द्वारा इकट्ठा किए गए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जा सकता है।
- अनुबंधित ऑपरेटर अनुरोध कर सकते हैं सत्यापन परिणाम के रासायनिक के संबंध में विश्लेषण नमूनाकरण, एक निर्दिष्ट के भीतर निर्धारित समय - सीमा। इस मामले में हुए खर्च का पेमेंट कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर करेगा।
- संकुचित ऑपरेटर कर सकता है उपयोग मंजूर किया गया प्रमाण पत्र के लिए पेशेवर कारण, अर्थात् निष्कर्ष का समझौते, मामले का प्रस्ताव, पुष्टि का आदेश, के लिए प्रचार और विपणन उद्देश्यों और इसमें भी आदेश को सिद्ध करना वह बाद वाला अनुरूप को आवश्यकताएं का मानकों अनुसार को कौन यह है प्रमाणित।

### b. दायित्व:

कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर को ये करना होगा :

- सहयोग इस तरह से की की सुविधा नियंत्रण निकाय के कमियों द्वारा उचित लेना संगठनात्मक के संबंध में उपाय निरीक्षण प्रक्रियाएं और निगरानी जांच। अगर कानूनी प्रतिनिधि ऐसा करने में नाकाम रहता है निरीक्षण में शामिल होने के लिए, बाद वाले को नामित करना होगा ए प्रतिनिधि कीन इच्छा उपस्थित रहें लगातार जांच। अगर निरीक्षण नहीं किया जा सकता है या गुणिका गलती करना और/या ऑपरेटर द्वारा इसमें बाधा डाली

- जाती है, तो इसे माना जाता है निरीक्षण से इनकार और गैर-अनुपालन की प्रासंगिक प्रक्रिया और मंजूरी के उपाय लागू होंगे;
2. इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्टरों और सभी संबंधित ऑफिचर को सभी प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, सभी अकाउंटिंग और संबंधित डॉक्यूमेंट में कोई भी एक्सेस दें। इसके अलावा, ऑफिचर को कंट्रोल बॉडी को कोई भी जानकारी देनी होगी। मानना ज़रूरी के लिए उद्देश्य निरीक्षण का;
  3. सभी को बनाए रखें ज़रूरी दस्तावेज़ जो इसकी पुष्टि करते हैं प्रमाणित गतिविधियाँ में आवश्यकताओं के अनुसार लागू होने वाले राष्ट्रीय और यूरोपीय कानून सहित कोड्स अच्छाई का कृष्ण प्रथाएं;
  4. ऐसा न करने की स्थिति में अभिन्य करना निर्धारित निरीक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर, ऑफिचर की वजह से, ऑफिचर आरोप लगाया के लिए कार्यान्वित करने से इनकार इंस्पेक्शन। सैक्षण्य कमिटेड सक्षम है संज्ञान लेना मामले का, जो लगाए गए संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला करता है ऑफिचर के अनुसार प्रतिबंध सूची;
  5. कानूनी प्रतिनिधि ऑफिचर का या एक विधिवत अधिकृत व्यक्ति अवश्य के दौरान हस्ताक्षर करें जांच सभी दस्तावेज़ जो निम्न द्वारा दर्शाएं गए हैं कार्मिक कंट्रोल बॉडी का। साइन करने से मना करना माना जाएगा निरीक्षण करने से इनकार और इसे संदर्भित किया जाता है प्रतिबंधों के प्रवर्तन के लिए प्रतिबंध समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा;
  6. लगातार कार्यान्वयन प्रक्रियाओं निरीक्षण किए गए व्यक्ति का और सर्टिफाइड एक्टिविटी, ताकि लगातार पालन किया जा सके नियमों के साथ जिसके अंतर्गत प्रमाणन प्रदान किया जाता है;
  7. सुधारात्मक उपाय करें कार्रवाई उपाय करना के दौरान पहचानी गई गैर -अनुरूपताएं द्वारा निरीक्षण नियंत्रण निकाय के भीतर निर्दिष्ट निर्धारित समय - सीमा। नियमों के अंदर गैर - अनुरूपताओं को ठीक करने में विफलता मान गया अवधि एक कारण है प्रतिबंधों के प्रवर्तन के लिए;
  8. सूचित करना नियंत्रण निकाय लेखन में किसी भी बदलाव के संबंध में ऑफिचर अपने निरीक्षण और प्रमाणित कार्य करेगा गतिविधियाँ और/या उत्पादन विधियाँ;
  9. तुरंत सूचित करें नियंत्रण निकाय अगर यह पाता है कि उत्पादों वह उत्पादन करता है, प्रक्रिया करता है, आयात करता है या प्राप्त करता है अन्य ऑफिचरों संतुष्ट न करें विनियमन (ईयू) 2018/848 की आवश्यकताएं जिनके तहत वे हैं प्रमाणित;
  10. उत्पादों के संबंध में उत्पादित, संसाधित या ऑफिचर द्वारा आयातित और जिसके लिए रेगुलेशन (EU) 2018/848 के अनुसार गैर - पालन का संदेह है, दस्तावेज़ इस बात का साक्ष्य रखा जाएगा कि ये उत्पाद पारम्परिक हैं;
  11. वह संकुचित ऑफिचरी जिम्मेदार है उचित के लिए प्रमाणपत्रों का उपयोग कंट्रोल बॉडी को मिला है। ऑफिचर को बताना होगा बस यही है रखती है केवल प्रमाणपत्र के लिए उल्लिखित उत्पाद उक्त प्रमाणपत्रों में और अपने उत्पादों का विपणन इसलिए। कोई संदर्भ प्रमाणीकरण के लिए उत्पाद का मीडिया में, फॉर्म, ब्रोशर सहित और / या विज्ञापनों को अनुपालन करना साथ विनियमन (ईयू) 2018/848 की आवश्यकताएं;
  12. राज्य वे उत्पाद जो प्रमाणित हैं केवल के रूप में दायरा जिसके लिए प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है;
  13. का उपयोग नहीं प्रमाणीकरण ऐसे कि के रूप में लाना बदनामी नियंत्रण निकाय को, या किसी भी तरीके से जिसे महसूस किया जा सकता है नियंत्रण निकाय द्वारा भ्रामक;
  14. का एक लेखाजोखा रखें शिकायतों और फाइल उपायों के निपटने के लिए लिया गया शिकायतें. ये अभिलेख विषय हैं निरीक्षण के लिए निरीक्षकों द्वारा नियंत्रण निकाय का;
  15. निलंबन के मामले में या निकासी प्रमाणपत्रों के, ऑफिचर को अवश्य तुरंत बंद करो किसी भी का उपयोग लाइसेंस, विज्ञापन और किसी भी संदर्भ प्रमाणीकरण;
  16. के मामले में सर्टिफिकेट वापस लेने पर, ऑफिचर को वापस करना होगा दिए गए सभी मूल दस्तावेज़ प्रमाण पत्र;
  17. स्वीकार करें नियंत्रण निकाय के प्रमाणपत्र के लिए जारी किए अन्य ऑफिचर;
  18. पैकेट और स्थानांतरित करें उत्पादों के अनुसार विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार। ग्रहण करना अन्य उत्पादों ऑफिचरों के अनुसार विनियमन (ईयू) 2018/848 के साथ ;
  19. यदि एक ऑफिचर के सब-कॉन्ट्रैक्टर का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एक अन्य नियंत्रण निकाय विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 46(1) के अनुसार मायता प्राप्त, विनियम की अनुमति देने के लिए जानकारी के बीच नियंत्रण निकाय निरीक्षण कार्यों के संबंध में;
  20. प्रावधानों का पालन करें इस प्रमाणन विनियमन और इसके अनुलग्न के विनियमन प्रमाणन प्रासंगिक को इसकी गतिविधि;
  21. प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन करना और नियंत्रण निकाय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर कोई भी परिवर्तन करना;
  22. प्रमाणित उत्पादों को प्रदत्त प्रमाणन के तहत उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा;
  23. यदि प्रमाणीकरण की प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक हो, तो प्रमाणीकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां या प्रमाणीकरण योजना और विनियमन (ईयू) 2018/848 द्वारा निर्धारित प्रतियां प्रदान करें;
  24. कंट्रोल बॉडी को किसी भी ऐसे बदलाव के बारे में बताना जो सर्टिफिकेशन की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर डाल सकता है, जैसे: कानूनी, कमशियल या ऑर्गनाइजेशनल स्टेटस में बदलाव, मैनेजमेंट में बदलाव, पते और प्रोडक्शन पॉइंट में बदलाव।

## अनुच्छेद 20

CERT के दायित्व

एक प्रमाणपत्र :

1. operate at सभी स्तरों में एक निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तरीके से, जो सुनिश्चित करता है गोपनीयता यह जानकारी हैँडल;
2. आवेदक को प्रदान करें किसी भी आवश्यक जानकारी के लिए मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया। ऑफिचर को सूचित करें विनियमन (ईयू) 2018/848 जैसा लागू है और प्रत्येक जोड़ और / या संशोधन। एक CERT प्रदर्शन करेगा ऑफिचर की ओर सभी इसके दायित्वों अंतर्गत विनियमन (ईयू) 2018/848 और इसका आंतरिक विनियमन;
3. उपयोग हर पद के लिए सही कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाता है उचित योग्यता और क्षमता रखने वाले;
4. रेलगाड़ी और पर्यवेक्षण चुने गए कर्मियों को निरीक्षण करना ;
5. आयोजन जांच और निर्णय ले पर प्रमाणपत्र प्रदान करना और दंड;
6. सूचित करना इसके संबद्ध कंपनियों की तारीखों के लिए निरीक्षण और रचना के लिए निरीक्षण दल के निर्णयों के लिए प्रतिबंध समिति की , और तिथियां अपीलों की जांच और याचिकाएँ अपील आयोग और उसके निर्णय;
7. जारी करें प्रमाणन दस्तावेज़ इस विनियमन के अनुच्छेद 12 के ;

8. मैं एक कन्फर्मेशन लेटर जारी करता हूँ अनुरोध ऑपरेटर द्वारा उन्होंने कहा वह यह ऑपरेटर है दर्ज कराई ए सीईआरटी और के निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली में आवश्यकताओं को पूरा करता है नियमों का । कम्पलायंस लेटर प्रदान किया जाएगा सभी उपयोगों के लिए उत्पादों की बिक्री को छोड़कर;
9. रखना प्रत्येक नियंत्रित के लिए व्यक्तिगत फ़ाइलें ऑपरेटर जो उपलब्ध हैं निगरानी प्राधिकरण को और बॉटना उन्हें अनुरोध पर उत्तरार्द्ध को ;
10. आगे EU अधिकारियों को <sup>28</sup> फरवरी तक प्रत्येक वर्ष के के कार्यान्वयन में विनियमन (EU) 2018/848 और विनियमन (EU) 2021/1698 निम्नलिखित जानकारी पिछले से संबंधित वर्ष: क) नियंत्रण प्रणाली, जिसमें, अलग से नाम और पता, के संकेत क्षेत्र और फ़सल प्रजातियाँ और संख्या पर पशु प्रजातियाँ, जैसा ज़रूरी हो। b ) पूरी रिपोर्ट लिए गए सैंपल का एनालिसिस, c) सर्टिफाइड प्रोडक्ट की स्थिति (प्रकार, आकार, मात्रा, क्षेत्र) और घ ) कोई अन्य जानकारी जैसा कि अनुरोध किया गया है सक्षम अधिकारियों;
11. सहयोग दूसरों के साथ जैविक उत्पादों के लिए नियंत्रण निकाय साझा करके ज़रूरी जानकारी और उसकी एक कॉपी भेजना संग्रहीत का व्यक्तिगत ऑपरेटर की फ़ाइलें अगर ऑपरेटर कंट्रोल बॉटी को बदलने का फैसला करता है और साथ ही, कंट्रोल बॉटी को भी बताता है, तो पर्यवेक्षण और नियंत्रण उपयुक्त प्राधिकरण;
12. सूचित करना पर्यवेक्षी जारी करने का प्राधिकरण सर्टिफिकेशन दस्तावेज़, और सर्वेंड करें या रद्द करें प्रमाणीकरण पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के अनुसार लागू राष्ट्रीय के साथ विधान;
13. सहायता प्रदान करें दूसरे भाग के निरीक्षण के लिए ;
14. मैं बार-बार होने का मामला संचालन नियंत्रण निकाय के उचित रूप से होने के बाद दर्ज कराई एक आपत्ति या अपील अपील कमिटी, खर्च उठाएंगी शरीर;
15. CERT का कोई मतलब नहीं होता जिम्मेदारी अगर देनदारियों उठना खपत के कारण असुरक्षित का भेजन से एक प्रमाणित ऑपरेटर;
16. कानून द्वारा आरोपी ऑपरेटर के बारे में तीसरे पक्ष को गोपनीय जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता हो, तो ऑपरेटर को लिखित रूप में सूचित करें ;
17. जहां विनियमों के अनुप्रयोग के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया हो, वे अनुरोध पर नियंत्रण निकाय के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे;
18. प्रमाणित कंपनियों को ई-मेल के माध्यम से, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या डाक के माध्यम से प्रमाणन आवश्यकताओं में परिवर्तन के बारे में सूचित करें जो ऑपरेटर को प्रभावित करते हैं;
19. जब ऑपरेटर और/या सबकॉन्ट्रैक्टर का इंस्पेक्शन दूसरी कंट्रोल बॉटीज़ करती हैं, तो A CERT उनके साथ पहले बताए गए ऑपरेटर और उनके कामों के बारे में जानकारी शेयर करेगा । मामला यह है कि एक उपठेकेदार ऑपरेटर द्वारा निरीक्षण किया जाता है एक और मान्यता प्राप्त नियंत्रण निकाय, विनियम की अनुमति देने के लिए जानकारी के बीच नियंत्रण निकाय निरीक्षण कार्यों के संबंध में;
20. किसी दूसरी कंट्रोल बॉटी को ट्रांसफर होने पर, CERT अगली कंट्रोल बॉटी को ऑपरेटर की फ़ाइल और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में ज़रूरी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है, और खास तौर पर:
  - अगर ऑपरेटर की फ़ाइलेशनल दिक्कते दूर हो गई हैं
  - अगर इंस्पेक्शन असाइनमेंट की तारीख से 30 दिनों के अंदर कोई तय इंस्पेक्शन नहीं होता है
  - यदि एसीईआरटी ऑपरेटर के निरीक्षण के दौरान उठाई गई गैर-अनुरूपताओं के संबंध में प्रगति का मूल्यांकन कर रहा है;
21. इसके विपरीत, यदि किसी ऑपरेटर ने अपना व्यवसाय ए सीईआरटी में स्थानांतरित कर दिया है, तो पिछला नियंत्रण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटर पिछले नियंत्रण

- निकाय की रिपोर्ट में संदर्भित गैर-अनुपालन के मामलों से निपटता है;
22. जब ऑपरेटर वापस लेता है कंट्रोल सिस्टम से कोई जानकारी मिलने पर, CERT तुरंत सक्षम अधिकारी को सूचित करेगा। यह ट्रांसफर के मामलों में भी लागू होता है।

## अनुच्छेद 21

### सहयोग की समाप्ति

A CERT और कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेटर के बीच कोलेबोरेशन इन वजहों से खत्म हो सकता है:

- के बाद , और अगर ऑपरेटर इसका रिन्यूअल अप्लाई नहीं करता है।
- ऑपरेटर द्वारा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद। इस मामले में ऑपरेटर को कंट्रोल बॉटी को लिखकर बताना चाहिए, जबकि वह A CERT के खिलाफ आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करने के लिए कमिटेड है।
- A CERT द्वारा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद, कंट्रोल बॉटी की ओर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के ये कारण हो सकते हैं :
  1. अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफलता;
  2. थोपना प्रतिबंध समिति द्वारा वापसी का ऑपरेटर का से नियंत्रण प्रणाली के लिए एक अवधि नहीं से अधिक तीन साल या अपने उत्पादों को जैविक के रूप में बेचने पर प्रतिबंध के लिए एक अवधि नहीं एक से अधिक वर्ष, जबकि सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकरण .

एक CERT सुरक्षित रखता है सही के समक्ष दावा पेश करना दीवानी अदालतें अभ्यास करना इसके वैध अधिकार, साथ ही तलाश करना सुरक्षा के संबंध में धमकियाँ इसकी अच्छी प्रतिष्ठा और कार्य के विरुद्ध किसी भी माध्यम से का अर्थ है ( काग़ज, डिजिटल प्रेस, रेडियो, वॉरहा )।

## अनुच्छेद 22

### मूल्य निर्धारण और क्रेडिट नीति

एक CERT एक अद्वितीय का पालन करता है मूल्य निर्धारण सभी के लिए नीति ऑपरेटर शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए यह ड्राफ्ट मूल्य सूची अनुरोध के आधार पर सर्टिफिकेशन का दायरा , जहाँ आर्थिक स्थितियाँ सहयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है।

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष टैरिफ मई संशोधित किया जाए एक निर्णय द्वारा नियंत्रण निकाय के बिना पूर्व सूचना।

## अनुच्छेद 23

### प्रकाशनों

इसके भीतर के प्रति दायित्व राष्ट्रीय और यूरोपीय कानून एक CERT प्रकाशित करता है और सक्षम प्रदान करता है जानकारी वाले अधिकारी जैसे कि:

- प्रमाणन विनियमन
- अनुलग्नक प्रमाणन विनियमन
  - मैं फ़सल उत्पादन
  - II पशु उत्पादन
  - तृतीय जैविक प्रसंस्करण उत्पाद और खिलाना
- मूल्य सूची

- फ़सल उत्पादन
- पशु उत्पादन
- का प्रसंस्करण जैविक उत्पाद और खिलाना